

बिल्डर करवा रहा आवासीय निर्माण स्वीकृति की आड़ में

व्यवसायिक बिल्डिंग का निर्माण!!!

**जेडीए के प्रवर्तन अधिकारी ही दे रहे
अवैध निर्माणों को संरक्षण!!!**

भाग-1

**प्रवर्तन अधिकारी व्यवसायिक बिल्डिंग के निर्माण को
बता रहे आवासीय निर्माण!!!**

**जेडीए के ज़ोन-5 में स्थित आवासीय भूखंड संख्या 408-409 निर्माण नगर, ए पर
आवासीय निर्माण स्वीकृति की आड़ में हो रहे व्यवसायिक निर्माण का मामला!!!**

जेडीए के ज़ोन-5 में स्थित आवासीय भूखंड संख्या 408-409 निर्माण नगर, ए पर
आवासीय निर्माण स्वीकृति की आड़ में हो रहे व्यवसायिक निर्माण का मामला!!!

**जेडीए के ज़ोन 5 में स्थित भूखंड संख्या 408-409
निर्माणनगर ए,बी, में आवासीय निर्माण स्वीकृति
की आड़ में हो रहे व्यवसायिक निर्माण का मामला!!**

आपको बता दें कि जेडीए के ज़ोन 5 में स्थित भूखंड संख्या 408-409 निर्माणनगरए,बी, में आवासीय निर्माण स्वीकृति की आड़ में व्यवसायिक निर्माण करवाया जा रहा है। यह मामला हमारे द्वारा दिनांक 26/02/2022 को जेडीए के जिम्मेदार अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया था, जिसका जवाब देते हुए संबन्धित ज़ोन 5 में प्रवर्तन अधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा दिनांक 11/03/2022 को मौका



देखा गया, मौके पर बेसमेंट व ग्राउंड का निर्माण चल रहा है, जो उन्हें आवासीय प्रतीत हो रहा है, व बिल्डिंग लाइन में है।

जबकि बिल्डर द्वारा इस भूखंड पर आवासीय निर्माण स्वीकृति की आड़ में खुलेआम व्यवसायिक निर्माण किया जा रहा है और मौके पर बेसमेंट, ग्राउंड सहित 3 तलों का निर्माण कर लिया गया है, स्थानीय निवासियों के अनुसार बिल्डर द्वारा किराए पर देने के लिए इस बिल्डिंग में शोरूम, दुकाने बनाई गयी है।

12	Jaipur Development Authority (J D A), Enforcement Officer (Zone-III), Enforcement Officer - 5	Partially Special Closed	13-Mar-2022	प्राप्त प्रकरण में दिनांक ११-०३-२०२२ को मौका देखा गया मौके पर बेसमेंट व ग्राउंड का निर्माण चला रहा है जो आवासीय प्रतीत हो रहा है व बिल्डिंग लाइन में है
----	---	--------------------------	-------------	---

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग को जानबूझकर जेडीए के प्रवर्तन अधिकारी क्यों शह दे रहे हैं? हो सकता है कि संबन्धित प्रवर्तन अधिकारी द्वारा इस बिल्डिंग का मौका मुआइना किया गया हो तब इसकी निर्माण प्रकृति का अंदाजा लगाना मुश्किल हो लेकिन अब तो बिल्डिंग को देखने से ही स्पष्ट होता है कि यह व्यवसायिक निर्माण है। ऐसा नहीं है कि यह बिल्डिंग किसी कौने में बन रही हो जहां का निरीक्षण करना रोज रोज की बस की बात नहीं हो। यह बिल्डिंग तो श्याम नगर की प्रमुख रोड पर बन रही है, जहां से इन प्रवर्तन अधिकारी की सरकारी गाड़ी दिन में एक बार तो निकलती ही है।

इतना ही नहीं बिल्डर द्वारा गुमराह करने के लिए मौके पर एक बोर्ड और लगा रखा है जिसमें लिखा हुआ है कि यह बिल्डिंग जेडीए से अनुमोदित है। जबकि नियमों के अनुसार बिल्डर को स्वीकृत नक्शे साइट पर सार्वजनिक रूप से लगाने थे। देखना यह है कि इस मामले को जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक श्री रघुवीर सैनी के संज्ञान में लाने के बाद ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी उन्हें क्या जवाब देकर गुमराह करते हैं।

